

यादी क्रमांक 3/102/2017-2एच.जी.-III

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

सेवा में

1. सभी जिलाधीश
(सिवाय फरीदाबाद, पंचकुला व गुडगाँव)
2. पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद
3. संयुक्त पुलिस आयुक्त, गुडगाँव
4. पुलिस उपायुक्त, पंचकुला

दिनांक, चण्डीगढ़ 08.03.2021

Clarification regarding Rule 19 of the Arms Rules, 2016 regarding extension of area validity and renewal of arms license.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. सरकार द्वारा जारी की गई मन्त्रणा पत्र क्रमांक 3/365/2012-2एच.जी.-III, दिनांक 20.06.2017 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में जिन शस्त्र लाइसेंसों की सीमा राज्यों/भारतवर्ष के लिए सीमा बढोतरी सरकार द्वारा की गई है, तो उनमें शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण/एरिया वैधता करने बारे एवं आयुध शस्त्र नियम, 2016 के Schedule IV में Table "B" के बिन्दू संख्या 11 में एरिया नवीनीकरण की फीस के प्रावधान अनुसार फीस वसूली बारे सम्बन्धित जिलाधीश/पुलिस आयुक्त सक्षम अधिकारी है।

अधीक्षक गृह-III.

कृते अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग। 8/3/21

Registered
Most Immediate

From

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Home Department.

To

The District Magistrate,
Yamuna Nagar

Memo No. 3/365/2012-2HG-III
Dated, Chandigarh the 20.06.2017

**Subject:- Clarification regarding Rule 19 of the Arms Rules 2016
regarding extension of area validity and renewal of arms licence.**

...

Reference to your letter No.902/PLA dated 02.05.2017 on the
subject noted above.

2. You are advised as under:-

- (i) जिन एन०पी०बी० लाइसेंसों का वैधता क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा हरियाणा से बढ़ाकर राज्यों या सम्पूर्ण भारत तक किया जा चुका है उनका नवीनीकरण करने बारे Schedule-II column 7 के अनुसार जिलाधीश सक्षम अधिकारी है ।
- (ii) सब रूल 2 के रूल 19 आर्मस रूल 2016 वर्णित व्यक्तियों को सम्पूर्ण भारत या भारत के कुछ हिस्सों का एन०पी०बी० शस्त्र लाइसेंस जारी करने बारे Schedule-II column 9 के अनुसार जिलाधीश सक्षम अधिकारी है जो निम्नलिखित पाँच श्रेणी हैं ।

1. Union Minister or Members of Parliament.
2. Personnel of Defence Forces and Central Armed Police Forces.
3. Officers of All India Services.
4. Officers in the Government of Government sector undertaking of Public Sector Undertaking with liability to serve anywhere in India.
5. Dedicated sports persons and the sports persons specified in social numbers (1) to (4) of the table in sub Rule (2) of Rule- 40.

3. Therefore, you are requested to take necessary action accordingly.

Raminder Singh
Superintendent Home-III,

for Additional Chief Secretary to Govt., Haryana.
Home Department.

97
copy

रजिस्ट्रड

कमांक 3/102/2017 SHG-III

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग ।

सेवा में

1. आयुक्त मण्डल,
(रोहतक, हिसार, गुड़गांव व अम्बाला)।
2. सभी जिलाधीश।
(सिवाय फरीदाबाद, पंचकूला व गुड़गांव)
3. पुलिस उपायुक्त, पंचकूला।
4. संयुक्त पुलिस आयुक्त,
फरीदाबाद व गुड़गांव।

दिनांक, चण्डीगढ़ 6/12/2017

विषय:-

Calrification regarding Rule 19 of the Arms Rules, 2016 regarding
extension of area validity and renewal of arms licence.

उपरोक्त विषय क सन्दर्भ में।

2. सरकार द्वारा जिलाधीश, यमुनानगर को दी गई मंत्रणा पत्र कमांक
3/365/2012-2एच.जी.-III, दिनांक 20.06.2017 की प्रति आपको आगामी कार्यवाही
हेतु भेजी जाती है।

Kamini Singh

अधीक्षक गृह-III

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग।